पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अखिलेश कुमार

बनाम

पूनम कुमारी

2020 की विविध अपील संख्या 96

31 जुलाई 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)

हेडनोट्स

अपील- तलाक मामले में दिए गए निर्णय के खिलाफ दायर की गई, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए दाखिल किया गया वैवाहिक मामला खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया था कि उत्तरदाता ने उसे छोड़ दिया है।

निर्णय - अपीलकर्ता के खिलाफ दूसरा विवाह करने का आरोप 2005 से संबंधित है, लेकिन तलाक मामले में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि यह एक गंभीर आरोप है जो अकेले इस आधार पर पति के दावे को रोक सकता है। - अपीलकर्ता ने यह साबित कर दिया है कि उत्तरदाता बिना किसी कारण वैवाहिक घर छोड़कर चली गई और अपीलकर्ता ने 2003 में दांपत्य अधिकारों की पुनःस्थापना के लिए मामला दर्ज किया था, जिसे 2004 में एकतरफा फैसला देकर यह आदेश दिया गया कि उत्तरदाता को अपीलकर्ता के साथ रहकर वैवाहिक जीवन व्यतीत करना होगा। - उत्तरदाता ने दांपत्य अधिकारों की पुनःस्थापना के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के साथ तब जुड़ने का प्रयास किया जब वैधानिक अवधि समाप्त होने वाली थी और उसने यह कभी स्पष्ट नहीं किया कि उसने पहले क्यों नहीं जुड़ने का प्रयास किया। सहवास को फिर से शुरू करने का उत्तरदाता का इरादा सिद्ध नहीं होता और अलगाव का तथ्य सिद्ध हो चुका है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तरदाता के पक्ष में छोड़ने की मंशा थी और उसका बचाव केवल कानूनी उपचार के परिणाम से बचने के लिए तैयार किया गया था। - उत्तरदाता ने वैवाहिक घर से दूर रहने का कोई ठोस कारण नहीं दिया। (पैरा 20)

अपील स्वीकृत की जाती है।(पैरा 21)

न्याय दृष्टान्त

बिपिनचंद्र जयसिंहबाई शाह बनाम प्रभावती (एआईआर 1957 एससी 176); लछमन उतमचंद कृपलानी बनाम मीना उर्फ मोटा (एआईआर 1964 एससी 40); देबानंद तामुली बनाम काकुमोनी काटाकी की रिपोर्ट (2022) 5 एससीसी 459; अध्यात्म भट्टर अलवर बनाम अध्यात्म भट्टर श्री देवी की रिपोर्ट एआईआर 2002 एससी 88 में

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9, 13, 13(1)(1-बी)

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए	:	रजनीश कुमार, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	कोई नहीं
रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया	:	अमित मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 की विविध अपील सं.96

==========

अखिलेश कुमार, पिता- रामजी साव, निवासी- मोहल्ला बिच बाजार, सोहसराय, थाना-सोहसराय, जिला-नालंदा

... ...अपीलकर्ता/ओं

बनाम

पूनम कुमारी, पिता- राजेंद्र साह, निवासी- गांव-सहारी, थाना-बाढ़, जिला-पटना।

... ...उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलकर्ता/ओं के लिए : रजनीश कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : कोई नहीं

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी.भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे

सीएवी निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे)

तारीखः 31-07-2024

वर्तमान अपील हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) मामला सं. 133/2015 में पारित दिनांक 13.11.2019 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाता के साथ विवाह-विच्छेद हेतु दायर वैवाहिक मामला खारिज कर दिया गया है।

2. मामले के तथ्यात्मक पहलू पर जाने से पहले, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलकर्ता ने पहले वि.अ. सं. 346/2011 दायर किया था, जिसका

निपटारा सक्षम न्यायालय में नई विवाह-विच्छेद याचिका दायर कर सकने की स्वतंत्रता के साथ किया गया था । यह उल्लेख करना उचित है कि वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) वाद सं. 31/2005 को पहले प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, नालंदा की अदालत ने 10.02.2010 को खारिज कर दिया था और फिर से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह-विच्छेद के लिए आवेदन वर्ष 2015 में दायर किया गया था, जिसे संबंधित न्यायालय ने 13.11.2019 को खारिज कर दिया था और दिनांक 13.11.2019 के आदेश के विरुद्ध, वर्तमान वि.अ. सं. 96/2020 दायर किया गया है।

3. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता का विवाह 16.12.1999 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के बाद उत्तरदाता को उसके ससुराल- बिच बाजार, सोहसराय, जिला नालंदा में लाया गया और एक सप्ताह बाद वह अपने माता-पिता के घर लौट आई। विवाह के बाद अपीलकर्ता दिल्ली चला गया और साथ रहने के दौरान 15.10.2000 को एक लड़की/ज्योति कुमारी का जन्म हुआ। आरोप है कि उत्तरदाता/पत्नी अपीलकर्ता/पति के साथ मारपीट करती थी और उसे उकसाने की कोशिश करती थी। अपीलकर्ता ने उसके व्यवहार को शांत करने की पूरी कोशिश की और उसे दिल्ली ले गया, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला। उत्तरदाता दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में भी उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करता था। अपीलकर्ता का दावा है कि 16.12.2000 को उत्तरदाता के पिता दिल्ली स्थित अपीलकर्ता के आवास पर आए और पूजा के बहाने उत्तरदाता को वापस ले गए। जब अपीलकर्ता उत्तरदाता को वापस लेने गए, तो उत्तरदाता का व्यवहार बदल गया और उत्तरदाता ने जवाब दिया कि वह उसके साथ नहीं रहेगी और उसने अपने खर्चों के लिए अपीलकर्ता के वेतन की मांग की। अपीलकर्ता ने तीन हज़ार रुपये प्रति माह देना शुरू किया, लेकिन यह राशि उसके लिए पर्याप्त नहीं थी और उत्तरदाता ने आधे वेतन की मांग की और उस पर ज़ोर दिया। आगे यह भी दावा किया

गया है कि उत्तरदाता ने केवल राशि वसूलने के लिए झूठा मामला दायर किया। अपीलकर्ता ने वैवाहिक वाद सं. 32/2003 के माध्यम से सक्षम न्यायालय के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन दायर किया और उक्त मामले में, संबंधित न्यायालय द्वारा वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आदेश पारित किया गया और उत्तरदाता को अपने पति के साथ रहने का आदेश दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि वैवाहिक वाद सं. 31/2005 को प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, नालंदा द्वारा 10.02.2010 को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उत्तरदाता एक महीने की अवधि के लिए अपीलकर्ता के साथ रही और एक वर्ष से उसे नहीं छोड़ा और उक्त आधार पर, 10.02.2010 को निर्णय सुनाए जाने तक परित्याग नहीं किया गया था। यह दावा किया गया है कि उत्तरदाता लगातार अपने पति के साथ रहने से बच रही है। उक्त परिस्थिति के आलोक में, अपीलकर्ता के पास 2005 से परित्याग के आधार पर नया विवाह-विच्छेद का मामला दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपीलकर्ता ने विविध अपील सं. 346/2011 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और 21.04.2015 को उक्त अपील का निपटारा करते हुए समन्वय पीठ ने पाया कि 10.02.2010 के निर्णय के समय परित्याग का आधार नहीं बनाया गया था, लेकिन पत्नी लगातार अपने पति के साथ संबंध बनाने से बचती रही है, इसलिए उसके पास 2005 से आज तक परित्याग के आधार पर नया विवाह-विच्छेद का मामला दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उक्त निर्णय दिनांक 21.04.2015 की कंडिका-7 में यह देखा गया है कि उक्त अपील को वापस लेने की अनुमति दी जाती है, साथ ही अपीलकर्ता को सक्षम न्यायालय में नया विवाह-विच्छेद का मामला दायर करने और भरण-पोषण भत्ते को रोकने के लिए कदम उठाने की अनुमति भी दी जाती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता को उत्तरदाता द्वारा 2004 से अनावश्यक उत्पीड़न का

सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसने अपीलकर्ता का घर छोड़ दिया था और अपीलकर्ता पहले ही जीवन का बहुमूल्य समय गँवा चुका है क्योंकि दोनों पक्ष अलग-अलग रह रहे हैं और पक्षों के वैवाहिक अधिकार को बहाल करने का कोई विकल्प नहीं है।

4. नोटिस के अनुसार, उत्तरदाता प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नालंदा की अदालत में पेश हुई।

5. उत्तरदाता ने लिखित बयान दायर किया था। उसने विवाह के तथ्य के साथ-साथ एक लड़की/ज्योति कुमारी और एक लड़के/अमन कुमार के जन्म को भी स्वीकार किया। शिकायत की कंडिका-3 में उसने जानबूझकर यह उल्लेख नहीं किया है कि एक बेटा/अमन कुमार पैदा हुआ था। उसने इस आरोप से इनकार किया कि उसने अपीलकर्ता से कोई राशि या वेतन का आधा हिस्सा मांगा था। उसने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। उसने यह दलील दी है कि विवाह-विच्छेद का मामला सं. 31/2005 खारिज होने के बाद, अपीलकर्ता ने पूजा कुमारी के साथ दूसरा विवाह किया और पूजा कुमारी और अपीलकर्ता/अखिलेश कुमार के विवाह से एक बेटा अंश पैदा हुआ और पहली पत्नी के जीवनकाल में अपीलकर्ता द्वारा किया गया दूसरा विवाह भी उत्तरदाता/कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के प्रति क्रूरता है। उसने आगे दलील दी है कि उसने एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने का प्रयास किया, परंतु पति/अपीलकर्ता द्वारा उसे छोड़ दिया गया।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) प्रकरण सं. 133/2015 में दिनांक 13.11.2019 को पारित निर्णय विधिक दृष्टि से भी और तथ्यों के आधार पर भी गलत है क्योंकि पारिवारिक न्यायालय ने मामले के तथ्यों का मूल्यांकन नहीं किया है और केवल उत्तरदाता के इस कथन पर विश्वास करते हुए कि

अपीलकर्ता ने वर्ष 2005 में दूसरा विवाह किया था, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत उपरोक्त याचिका को खारिज कर दिया है किन्तु इस कथन का ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिससे यह राय बनाई जा सके। अपीलकर्ता ने कथित रूप से दूसरे विवाह से इनकार किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता ने वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) मामला सं. 31/2005 के लंबित रहने के दौरान दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय द्वारा वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) मामला सं. 31/2005 का निर्णय करते हुए दिनांक 10.02.2010 को पारित आदेश में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि अपीलकर्ता ने वर्ष 2005 में ही दूसरी शादी कर ली थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि, निस्संदेह, यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता ने वर्ष 2005 में एक-दूसरे का साथ छोड़ दिया था और वर्ष 2005 से, 14-15 वर्ष बीत चुके हैं जब वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) मामला सं. 133/2015 को 13.11.2019 को खारिज कर दिया गया था और अपीलकर्ता लगातार उत्तरदाता को भरण-पोषण राशि का भुगतान कर रहा है और उत्तरदाता द्वारा इतने लंबे समय तक किया गया परित्याग विवाह-विच्छेद के लिए पर्याप्त आधार है। वर्ष 2005 से लगभग 19 वर्ष बीत चुके हैं, व्यावहारिक रूप से अपीलकर्ता के वैवाहिक अधिकार बहाल नहीं हुए हैं और अपीलकर्ता जीवन की कटुता और पीड़ा से उबरने के लिए कई दौर के मुकदमों में फंसा है क्योंकि उत्तरदाता ने स्वयं अपीलकर्ता को बिना किसी कारण और तर्क के छोड़ दिया था। शुरुआत में अपीलकर्ता ने दोनों पक्षों के वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर करके प्रयास किया और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत उत्तरदाता अपीलकर्ता के साथ एक महीने के लिए शामिल हुई, हालाँकि तकनीकी रूप से यह उत्तरदाता के उद्देश्य की पूर्ति करता है, लेकिन वास्तव में वह अपीलकर्ता के साथ नहीं आयी हैं और तब से अपीलकर्ता को परित्याग के आधार पर बहुत कुछ सहना पड़ा है।

7. उत्तरदाता पर्याप्त नोटिस देने के बावजूद इस अदालत के समक्ष पेश नहीं हुई।

8. अपीलकर्ता की ओर से 3 गवाहों से पूछताछ की गई। अ. सा.-1 रामजी साँ है, अ. सा.-2 उमेश कुमार है और अ. सा.-3 स्वयं अपीलकर्ता है। अपीलकर्ता ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उत्तरदाता ने दो गवाह पेश किए हैं, वि. सा.-1 स्वयं उत्तरदाता है और वि. सा.-2 ज्योति कुमारी है। प्रत्यर्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शनी- क (आर. टी. आई. के तहत प्राप्त रिपोर्ट), प्रदर्शनी-ख, ग और घ (तस्वीर की 3 प्रति) के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद पारिवारिक अदालत ने अपीलकर्ता द्वारा दायर वैवाहिक मामले को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने व्यथित होने के कारण वर्तमान विविध अपील को प्राथमिकता दी है।

9. मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, सवाल उठता है:-

क्या अपीलकर्ता ने दिए गए साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आलोक में त्याग के आधार पर मामला साबित किया है या नहीं?

10. अ. सा.-3/अपीलकर्ता के साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक है। अ. सा.-3 ने विवाह के तथ्य को दोहराया है। उन्होंने विवाह-विच्छेद याचिका में दिए गए तथ्य को दोहराया है। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2003 में उन्होंने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर की थी। जिसके तहत स.जि.न्या. ने उनके पक्ष में याचिका स्वीकार कर ली थी और उन्होंने कहा है कि डिक्री प्राप्त करने के बाद, उत्तरदाता को वर्ष 2005 में पूरी गरिमा के साथ उसके

ससुराल लाया गया और वह वहाँ 2 से 4 दिनों तक रहीं, और उसने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और अपने मायके चली गई। उन्होंने कहा है कि विवाह-विच्छेद का मामला सं. 31/2005 केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उत्तरदाता को वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश पारित करने के बाद वैवाहिक गृह में लाया गया था और अपीलकर्ता ने कहा है कि वर्तमान विवाह-विच्छेद का मामला इस न्यायालय के निर्देश के आलोक में लाया गया है और उत्तरदाता वर्ष 2005 से अलग रह रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि आदेश प्राप्त करने के बाद, उत्तरदाता अपीलकर्ता के साथ नहीं रह रही थी और इस न्यायालय में उत्तरदाता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थीं, लेकिन वह इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई और उसके बाद इस न्यायालय द्वारा एक नया विवाह-विच्छेद का मामला दायर करने और भरण-पोषण रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

11. अ.सा.-1 और अ.सा.-2 ने अ.सा.-3 के संस्करण को दोहराया और उसका समर्थन किया है।

12. वि. सा.-1 स्वयं उत्तरदाता हैं। उन्होंने विवाह और ज्योति कुमारी और अमन कुमार के जन्म के तथ्य के संबंध में अपने लिखित बयान को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि विवाह-विच्छेद का मामला सं. 31/2005 खारिज होने के बाद, अपीलकर्ता/पति ने पूजा कुमारी से दूसरी शादी कर ली और 12.08.2014 को एक बेटे अंश का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत उपरोक्त जानकारी मांगी है और वही प्रदर्श-अ के रूप में अंकित है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता अपनी दूसरी पत्नी के साथ जीवन का आनंद ले रहा है और वह और उसके बच्चे परित्यक्त जीवन जी रहे हैं।

13. वि. सा.-2 (अपीलकर्ता की बेटी) ने भी वि. सा.-1 द्वारा दिए गए बयान का समर्थन किया है और दोहराया है।

14. अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से, यह निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता ने अपने वैवाहिक अधिकार की प्रतिस्थापन हेतु एक मामला दायर किया है और उसे स्वीकार किया गया है तथा अपीलकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। वर्ष 2005 में अपीलकर्ता ने वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) मामला सं. 31/2005 दायर किया था, जिसे केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उत्तरदाता-पत्नी, वैवाहिक अधिकार की प्रतिस्थापन के आदेश पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपीलकर्ता-पति के साथ रहने आ गयीं थी। अपीलकर्ता ने पुनः वि.अ. सं. 346/2011 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उसका निपटारा इस निर्देश के साथ किया गया कि अपीलकर्ता सक्षम न्यायालय में एक नया विवाह-विच्छेद का मामला दायर करे और भरण-पोषण रोकने के लिए कदम उठाए। अपीलकर्ता ने फिर से विवाह-विच्छेद का मामला सं. 133/2015 दायर किया और उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ता ने स्वयं दूसरी महिला से शादी की थी और उससे एक बेटा पैदा हुआ था। अपीलकर्ता ने कहा है कि मुकदमेबाजी के कई दौर के दौरान यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता ने स्वयं 2005 में अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था, जिसके लिए अपीलकर्ता ने वैवाहिक विवाह-विच्छेद का मामला सं. 31/2005 दायर किया था। यद्यपि उत्तरदाता ने कहा है कि अपीलकर्ता ने वर्ष 2005 में दूसरी महिला से विवाह किया था, परंतु विवाह-विच्छेद प्रकरण सं. 31/2005 में अपीलकर्ता के दूसरे विवाह के बारे में कोई चर्चा नहीं है और उपरोक्त विवाह-विच्छेद प्रकरण 10.02.2010 को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उत्तरदाता को वैवाहिक घर छोड़े हुए एक वर्ष भी नहीं हुआ है। अपीलकर्ता ने स्वयं सिद्ध किया है कि उसने वैवाहिक अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की

धारा 9 का सहारा लिया है। उत्तरदाता ने वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना के लिए कोई प्रयास नहीं किया है क्योंकि वह वैवाहिक घर छोड़ चुकी है और अपीलकर्ता-पति ने यह तथ्य साबित कर दिया है कि उसने वैवाहिक अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर करके मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की है और अपीलकर्ता द्वारा किया गया हर प्रयास व्यर्थ हो गया है क्योंकि 2005 से उत्तरदाता अपीलकर्ता के साथ नहीं आई हैं, और केवल धारा 9 के आदेश को रद्द करने के लिए, वह 3-4 दिनों के लिए साथ आयीं थी और उसने कभी यह दावा नहीं किया कि अपीलकर्ता-पति ने वर्ष 2015 से पहले दूसरी शादी की है। हालाँकि, आरोप वर्ष 2005 से संबंधित है और वर्ष 2015 में अचानक, जब वैवाहिक मामला सं. 133/2015 दायर किया गया था, उत्तरदाता ने विवाह-विच्छेद के मामले सं. 33/2015 को रद्द करने के लिए एक नया बचाव किया है। इससे पहले उसने इस तरह के किसी आधार पर कोई बचाव नहीं किया है, हालाँकि, उसने दावा किया है कि अपीलकर्ता ने वर्ष 2005 में ही शादी कर ली है। उसने अपीलकर्ता के दावे को खारिज करने के लिए अलग-अलग समय पर अलग-अलग रुख अपनाया है। उसने प्रदर्श-क, ख, ग और घ् पेश किए हैं। उसने यह साबित नहीं किया है कि अपीलकर्ता का किसी अन्य महिला से विवाह कैसे हुआ है। यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता ने किसी अन्य महिला से विवाह किया है, सिवाय उस सादे बयान के जो अपीलकर्ता के दावे को खारिज करने के लिए बचाव के रूप में दिया गया है। प्रदर्श-अ के दस्तावेज़ के लेखक से भी पूछताछ नहीं की गई है। उत्तरदाता ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि अपीलकर्ता ने पूजा कुमारी से विवाह किया है और बिना इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश किए दूसरी शादी की झूठी कहानी गढ़ी गई है।

15. परित्याग सिद्ध करने के लिए, प्रासंगिक धारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(1-ख) है, जो इस प्रकार है:-

> *13. विवाह-विच्छेद-(1) कोई भी विवाह, वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्ज़ी पर विवाह-विछेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि-*
>
> *(i-ख) दूसरे पक्षकार ने अर्ज़ी के पेश किये जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम दो वर्ष की निरंतर कालावधि भर अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है;*
>
> *स्पष्टीकरण - इस उपधारा में "अभित्यजन" पद से विवाह के दुसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है जो युक्तियुक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो और इसके अंतर्गत विवाह के दुसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर अर्जीदार की उपेक्षा करना भी है इस पद के व्याकरणिक रूपभेदों तथा सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे।*

16. जब हम परित्याग का उल्लेख कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि दो प्रकार के परित्याग होते हैं:-

(i) वास्तविक परित्याग और (ii) रचनात्मक परित्याग

परित्याग के मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक घोषणा के माध्यम से सुलझाया गया है और इसकी व्याख्या की गई है कि (हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर विवाह-विच्छेद की कार्यवाही में "परित्याग"

क्या कहा जा सकता है)। "परित्याग" शब्द माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक जाँच के अंतर्गत ***बिपिनचंद्र जयसिंहबाई शाह बनाम प्रभावती (एआईआर 1957 एससी 176)*** में आया है, जिस पर ***लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी बनाम मीना उर्फ मोटा (एआईआर 1964 एससी 40)*** के मामले में विचार किया गया था। ***बिपिनचंद्र जयसिंहबाई शाह*** (उपरोक्त) में यह माना गया है कि यदि कोई पति या पत्नी आवेश में, सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने के इरादे के बिना क्रोध या घृणा में आकर एक दूसरे को छोड़ देते है, तो यह परित्याग नहीं माना जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व निर्णयों में की गई टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए, अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया:-

> *"उपर्युक्त टिप्पणियों को एकत्रित करते हुए, इस न्यायालय का मत इस प्रकार कहा जा सकता है: परित्याग के आधार पर विवाह-विच्छेद चाहने वाले याचिकाकर्ता पर चार आवश्यक शर्तें साबित करने का भारी दायित्व है, अर्थात्, (1) अलगाव का तथ्य; (2) अभित्यजन का आशय; (3) उसकी सहमति का अभाव; और (4) उसके आचरण का अभाव जो परित्याग करने वाले पति या पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने का उचित कारण देता हो।"*

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***देबानंद तामुली बनाम काकुमोनी काताकी*** मामले में (2022) 5 एस.सी.सी. 459 की कंडिका 8 में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

> *8. पति-पत्नी के बीच विवाद के कारण हमेशा बहुत जटिल होते हैं। हर वैवाहिक विवाद एक-दूसरे से अलग होता है। परित्याग का मामला स्थापित होता है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह साक्ष्य के*

रूप में रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का मामला है।

18. सर्वोच्च न्यायालय ने ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 88 में दर्ज ***अध्यात्म भट्टर अलवर बनाम अध्यात्म भट्टर श्री देवी*** मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"यह खंड यह नियम निर्धारित करता है कि परित्याग याचिका प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए परित्याग होने पर ही दसे वैवाहिक अपराध माना जाएगा। इस खंड को स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाना चाहिए। स्पष्टीकरण ने परित्याग की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए उत्तरदाता द्वारा याचिकाकर्ता पति/पत्नी की 'जानबूझकर उपेक्षा' को भी शामिल किया है। इसमें कहा गया है कि वैवाहिक अपराध माने जाने के लिए परित्याग बिना किसी उचित कारण के और याचिकाकर्ता की सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि विधायिका का इरादा इस अभिव्यक्ति को एक व्यापक अर्थ देना था जिसमें विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा भी शामिल है, इसलिए, परित्याग के अपराध के लिए, जहाँ तक परित्याग करने वाले पति/पत्नी का संबंध है, दो आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, अर्थात्, (1) अलगाव का तथ्य, और (2) सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा। (अभित्यजन का आशय)। इसी प्रकार, जहाँ तक परित्यक्त पति/पत्नी का संबंध है, कोई भी तत्व आवश्यक नहीं है: (1) सहमति का अभाव, और (2) आचरण का अभाव जो पति/पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ने के लिए पूर्वोक्त आवश्यक इरादे बनाने का उचित कारण देता हो। विवाह-विच्छेद के लिए याचिकाकर्ता दोनों पति/पत्नी में इन तत्वों को साबित करने और वैधानिक अवधि के दौरान उनके निरंतर रहने का भार वहन करता है।"

19. अपीलकर्ता ने वर्ष 2003 में अपने वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए कानूनी उपाय किया था और वर्ष 2004 में इस पर एकपक्षीय सुनवाई हुई और इसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) मामला सं. 31/2005 के तहत विवाह-विच्छेद की याचिका दायर की और उक्त विवाह-विच्छेद की याचिका वर्ष 2010 में केवल इस आधार पर खारिज कर दी गई कि उत्तरदाता को वैवाहिक घर छोड़े हुए एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है। अपीलकर्ता ने वर्ष 2011 में फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे सक्षम न्यायालय में नया विवाह-विच्छेद का मामला दायर करने और भरण-पोषण रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2015 में अपीलकर्ता ने विवाह-विच्छेद की याचिका दायर की और उसे परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उत्तरदाता ने दावा किया है कि अपीलकर्ता ने किसी अन्य महिला से दूसरा विवाह किया है। उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ में इस आरोप को साबित करने के लिए कोई आधार नहीं है कि अपीलकर्ता ने किसी अन्य महिला से विवाह किया है। इस प्रकार, उक्त मामले में उसका साक्ष्य केवल एक निरा बयान है, जिसमें मामले को उसके पक्ष में साबित करने का कोई आधार नहीं है। यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता किसी न किसी बहाने अपीलकर्ता की संगति को नकार रहा है और अपीलकर्ता ने कानूनी उपाय पाने के लिए काफी समय बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन अपीलकर्ता को किसी न किसी बहाने उक्त कानूनी उपाय से वंचित किया जा रहा है, लेकिन तथ्य वही है कि अपीलकर्ता 2005 से उत्तरदाता के साथ नहीं है। अपीलकर्ता ने वर्ष 2005 में दायर विवाह-विच्छेद याचिका में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और वर्ष 2015 में भी उसने उत्तरदाता के खिलाफ अपनी शिकायत दोहराई है और अपीलकर्ता ने यह साबित कर दिया है कि उत्तरदाता ने बिना किसी कारण के वैवाहिक घर छोड़ दिया है और

उत्तरदाता ने किसी न किसी बहाने अपीलकर्ता के दावे को दबाने की पूरी कोशिश की है और वर्ष 2005 से अब तक 19 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

20. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध दूसरी शादी का आरोप वर्ष 2005 से संबंधित है, लेकिन वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) प्रकरण सं. 31/2005 में इस तथ्य के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई, हालाँकि यह उत्तरदाता द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाया गया एक गंभीर आरोप है जो पति के दावे को केवल इसी आधार पर खारिज कर सकता है, लेकिन वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) प्रकरण सं. 31/2005 में पारित दिनांक 10.02.2010 के आदेश में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) प्रकरण सं. 133/2015 में उत्तरदाता द्वारा लगाया गया आरोप वर्ष 2005 से संबंधित है, जो पूरी तरह से बेतुका और निराधार है। यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने यह साबित कर दिया है कि उत्तरदाता ने बिना किसी कारण के वैवाहिक घर छोड़ दिया है और अपीलकर्ता ने स्वयं वर्ष 2003 में वैवाहिक अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए मामला दायर किया था और वर्ष 2004 में इस पर एकपक्षीय निर्णय लिया गया था और आदेश पारित किया गया था कि उत्तरदाता को वैवाहिक जीवन जीने के लिए अपीलकर्ता के साथ रहना होगा। अभिलेखों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उत्तरदाता ने वैवाहिक अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। उत्तरदाता वैधानिक अवधि समाप्त होने के ठीक पहले अपीलकर्ता के साथ रहने आयीं और उसने पहले नहीं आने का कारण भी नहीं बताया। इस प्रकार, उत्तरदाता का सहवास पुनः शुरू करने का इरादा स्थापित नहीं होता है और उपरोक्त सामग्री के प्रकाश में, अलगाव का तथ्य सिद्ध हो गया है और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तरदाता की ओर से अभित्यजन का आशय था और अपीलकर्ता के लिए

उपलब्ध विधिक उपचार के परिणाम से बचने के लिए ही उसने बचाव तैयार किया था और उसने वैवाहिक घर से दूर रहने के लिए कोई स्वीकार्य बहाना नहीं बनाया है।

21. उपरोक्त कंडिकाओं में की गई चर्चाओं और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने अपीलकर्ता के वर्ष 2015 के वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) वाद सं. 133 को खारिज करने में त्रुटि की है। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने परित्याग के आधार पर विवाह-विच्छेद का आदेश देने के लिए एक मामला बनाया है। अतः, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, नालंदा, बिहारशरीफ द्वारा पारित दिनांक 13.11.2019 के निर्णय को निरस्त किया जाता है और प्रस्तुत वि.अ. सं. 96/2020 को स्वीकार किया जाता है, जबकि वैवाहिक (विवाह-विच्छेद) वाद सं. 133/2015 को स्वीकार किया जाता है और अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच दिनांक 16.12.1999 को विवाह विच्छेद का आदेश दिया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

22. रजिस्ट्री से कानून के अनुसार डिक्री बनाने का अनुरोध किया जाता है।

(पी.बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

शहज़ाद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।